

**फार्म ए ए एस-4  
करार का प्रारूप**

सरकारी प्रतिभूतियां या विश्वस्तता प्रत्याभूति या नकद के लिए पालिसी

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है (जिस पद के अर्न्तगत जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञात या अपेक्षित हो उसके उत्तराधिकारी और समुदेशित भी समझे जाएंगे )

और दूसरे पक्ष के रूप में श्री

ब्लद घंधा

का निवासी जिसे इसमें इसके पश्चात 'अभिकर्ता' कहा गया है (जिस पद के अर्न्तगत जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञात या अपेक्षित हो उसके दायद, निष्पादक और प्रशासक भी समझे जाएंगे)

या

और दूसरे पक्षकार के रूप में

जो

(यहां संस्था का नाम लिखिए)

अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय

में है और जिसे इसमें इसके पश्चात 'अभिकर्ता' कहा गया है (जिस पद के अर्न्तगत जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञात हो उसके उत्तराधिकारी और समुदेशित भी समझे जाएंगे) के बीच 19

के / की दिन किए गए करार के अनुच्छेद ।

यतः सरकार अपनी अल्प बचत योजना के अधीन विनियोजन करने वाले लोगों को विक्रय के लिए विभिन्न प्रकार के बचत पत्र जारी करती है और लोगों से निक्षेप प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के बचत खाते उपलब्ध करती है

और यतः भारत सरकार प्राधिकृत अभिकर्ताओं को इस दृष्टि से नियुक्त करने के लिए इच्छुक है कि (इसमें इसके पश्चात प्रतिभूतियों के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे बचत खातों और ऐसे बचत खातों में और अधिक संग्रहण हो सके जिन्हें भारत सरकार उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अभिकर्ताओं के लिए अधिसूचना द्वारा उपलब्ध करें।

और यतः अभिकर्ता इसमें इसके पश्चात उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गया है।

\*\* और यतः उक्त शर्तों में से यह भी एक शर्त है कि अभिकर्ता उक्त संविदा की समुचित परिपूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षा के रूप में नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में

**Form A.A.S-4  
FORM OF AGREEMENT  
(Cash or Government Securities or Fidelity  
Guarantee Policy)**

Articles of agreement made at

This day of Two Thousand Hundred

between the President of India hereinafter called the "Government" (which expression shall be deemed to include his successors and assigns wherever the context so admits or requires) of the one part :

AND son of By occupation

of

hereinafter called the agent (which expression shall include his heirs, executors, and administrators wherever the context so admits or requires) of the other part :

**Or**

AND (Here insert the name of the Institution)

registered under Act and having its

registered office at

hereinafter called the 'the Agent' (which expression shall be deemed to include its successors and assigns wherever the context so admits or requires) of the other part.

WHEREAS THE Government under their Small Savings Scheme Issue various types of Savings Certificates for sale to the investing Public, and provides various kinds of Saving Accounts for receiving deposits from the Public.

AND WHEREAS the Government of India are desirous of appointing authorized Agents with a view to improving collections in such Saving Certificates and such Saving Accounts (hereinafter referred to as the "Securities") as the Government of India may, by a notification throw open to authorized Agents for the aforesaid purpose.

AND WHEREAS the Agent has agreed to act as such authorized agent on the terms and conditions hereinafter appearing.

\*\*AND WHEREAS it is also one of such terms that the agent should as security for the due fulfillment of the said contract deposit with the Appointing authority, cash or

जिन का कुल क्रय मूल्य पांच हजार / दो हजार / एक हजार

एक सौ रु होगा अवश्य जमा करेगा या  
रु के मान का निष्ठा गारन्टी बीमा कराएगा

\*\*बैंक्स को-आपरेटिव सोसायटीज और शासकीय सेवक जो प्रतिभूति देने से मुक्त हैं और जो अर्न्तगत एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं उन्हें लागू नहीं ।

और यतः अभिकर्ता ने तदनुसार नियुक्त प्राधिकारी के पास नकद राशि या धन पांच हजार/दो हजार/एक हजार/एक सौ रु के कुल क्रय मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां जिनका हस्तान्तरण नियुक्त अधिकारी को विधिवत किया जा चुका हो जमा कर दी

गई है या [ ] मान का निष्ठा गारण्टी बीमा कराया जा चुका है, जिन प्रतिभूति आदि का ब्यौरा जहां इसके नीचे लिखित अनुसूची में दे दिया गया है ।

अतः अब इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित रूप में करार किया जाता है :-

1. अभिकर्ता को सात वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (2,3,4 और 5 निर्गम) के विक्रय के लिए और दो-तीन-वर्षीय डाकघर सावधि जमा/पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा और इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट बचत की ऐसी अन्य योजनाओं में जमा प्राप्त करने के लिए किसी सरकार द्वारा आरम्भ की जाएं और अभिकर्ता के मार्फत विक्रय और जमा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध की जाएं, प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है । इसमें अन्यथा रूप के उपबधित के अधीन रहते हुए अभिकर्ता (अपने द्वारा विक्रीत और प्राप्त कराए गए) बचत पत्रों या जमा राशियों पर उस दर से कमीशन पाने का हकदार होगा जो ऐसी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में जो इस करार की विषय वस्तु हो शासकीय राजपत्र में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं ।

2. अभिकर्ता खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का [ ] राज्य में विक्रय करेगा ।

3. अभिकर्ता विनिधानकर्ताओं से प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए धन सरकार की ओर से प्राप्त करेगा और इसके लिए विहित प्रारूप में समूचित पावतियां, छपी हुई पावती पुस्तकों से देगा जो सरकार द्वारा अपने खर्च पर इस प्रयोजन के लिए अभिकर्ता को दी जाएंगी । किसी भी दशा में अभिकर्ता ऐसा धन स्वीकार नहीं करेगा, जिसके लिए वह छपी हुई पावती पुस्तकों से उचित विधिमान्य पावती या पावतियां तुरन्त देने में समर्थ नहीं है ।

4. अभिकर्ता, पूर्वोक्त रूप से धन प्राप्त करने के दस दिन के भीतर उसे डाकघर या ऐसे अन्य कार्यालयों में जमा करेगा जो इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिनसे वह इस प्रयोजन के लिए सलग्न किया जाए और ऐसे जमा किए जाने तक, अभिकर्ता उक्त धन को सरकार के लिए और उसकी ओर से न्यास के रूप में रखेगा ।

5. अभिकर्ता विनिधानकर्ताओं से ऐसी दस्तावेजें या लेखन प्राप्त करेगा जो ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान के बारे में सरकार द्वारा

Government Securities of the aggregate purchase price of Rs. five thousand/two thousand/one thousand/one hundred

or fidelity guarantee policy of the value of Rs. [ ]

\*\* Not applicable to Banks, Co-operative Societies and Government Servants appointed as internal agents who are exempted from furnishing security.

AND WHEREAS THE agent has accordingly deposited with the appointing authority Cash/Government Securities duly transferred to the latter of the aggregate purchase price of Rs. Five thousand/ two thousand/one thousand/ One hundred or Fidelity Guarantee Policy of the value of

Rs. [ ] particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows :-

1. The agent is hereby appointed as an authorized agent for effecting sales of six Years National Savings Certificates (II, III, IV & V issues) and for obtaining deposits in Two-Three-Years Post Office time deposits / Five Year Time Deposits and such other Schemes of Savings which are hereinafter collectively referred to as "Securities" as may be introduced by the Government and thrown open for securing sales and deposits through the agents subject as herein otherwise provided, the agent shall be entitled to receive commissions on certificates or deposits (sold and procured by him) as the rates notified by the Government from time to time in the official gazette in respect of the securities which are subject matter of this agreement.

2. The agent shall sell the Securities referred to in clause

(1) above in the state of [ ]

3. The agent shall on behalf of the Government receive from the investors moneys for investment in the "securities" and pass appropriate receipts for the same in prescribed form, from the printed receipt books, which the Government shall at their own cost supply to the agent for the purpose. In no case shall the agent accept money for which he is not able immediately to issue a proper valid receipt or receipts from the printed receipt books.

4. The agent shall within the ten days from the receipt of the moneys as aforesaid deposit the same in the Post Office(s), or such other offices as may be specified in this behalf by the Government to which he may be attached for the purpose and pending such deposit, the agent shall hold the said moneys in trust for and on behalf of the Government.

5. The agent shall obtain from the investors such documents or writing as may from time to time be

समय-समय पर विहित किए जाएं ।

6. सरकार संबंधित डाकघर (डाकघरों) या अन्य कार्यालय (कार्यालयों) की मार्फत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम या नामों में और ऐसी रकमों के लिए जिसके लिए विनिधानकर्ताओं ने आवेदन किया हो प्रतिभूतियां जारी करेगी और अभिकर्ता को देगी । अभिकर्ता ऐसी प्रतिभूतियां प्राप्त करने पर उन्हें विनिधानकर्ताओं द्वारा सम्यक रूप से उन्मोचित उस मूल पावती या उन मूल पावतियों के बदले में विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं को देगा जो उन्हें दी गई हों ।

7. इसमें अन्यथा रूप से उपबन्धित के अधीन अभिकर्ता ऐसी दर या दरों से कमिशन प्राप्त करने का हकदार होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर उन प्रतिभूतियों के बारे में अधिसूचित की जाएं जिनमें विनिधान इस करार के निबन्धनों के अधीन अभिकर्ता की मार्फत अनुज्ञात है । कमीशन, विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं द्वारा सम्यक रूप से उन्मोचित पावती (पावतियों) को इस निमित्त नियुक्त संदायकर्ता प्राधिकारी को पेश करने पर संदेय होगा । यथा पूर्वोक्त के सिवाय अभिकर्ता इस विलेख के अधीन किए गए कार्य के लिए किसी अन्य कमीशन पारिश्रमिक या किसी भी प्रकार के संदाय के लिए इस बात के होते हुए भी हकदार नहीं होगा कि इस प्रयोजन के लिए अभिकर्ता को खर्च प्रभार या व्यय उठाना पड़ा हो । किसी भी दशा में अभिकर्ता को कोई भी कमीशन निम्नलिखित के विनिधान के लिए संदेय नहीं होगा अर्थात :-

भविष्य निधि धन, सरकारी बैंकों सहित सहकारी सोसायटियों की निधियां किन्ही प्रतिभूतियों के रूप में विस्थापित व्यक्तियों को संदत्त प्रतिकर धन ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को पहले से ही गिरवी रखी नकद प्रतिभूतियां न्यायालय निधियां न्यास निधियां सरकारी अधिकारियों या स्थानीय या कानूनी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन निधियां किसी अधिनियमिती के अधीन या सरकार के किसी स्पष्ट आदेश द्वारा इस प्रतिभूतियों में किए जाने के लिए अपेक्षित विनिधान अथवा विदेश में निवासी व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए या प्राप्त विनिधान या अन्य ऐसे विनिधान जो इस निमित्त सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।

8. अभिकर्ता एतद्वारा वचनबद्ध करता है कि वह उन निदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा जो सरकार द्वारा या सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं और समय-समय पर प्रतिभूतियों को जारी करने से संबंधित सब नियमों और विनियमों का और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और विनियमों का उनके उपांतर (उपांतरों) या परिवर्धनों सहित अनुपालन करेगा और उपर्युक्त नियमों आदेशों तथा विनियमों से स्वयं को अवगत रखेगा तथा विषयतया वचनबद्ध करता है कि वह -

(क) सरकार द्वारा दी गई शासकीय पावती पुस्तकों के आवरण पर छपे हुए सब अनुदेशों का अनुसरण करेगा ।

(ख) किसी भी परिस्थिति में, उस रकम से अधिक की पावती नहीं देगा जिस तक के विनिधान या विनिधानों के लिए पावती प्रारूप विधिमान्य है और वही पावती प्रारूपों और प्रतिपणों पर छपी हुई बातों में कोई परिवर्तन करेगा ।

prescribed by the Government in regard to investment in such securities.

6. The Government shall through the Post Office(s) or other office(s) concerned issue and deliver to the agent the "Securities" in the name or names of such person or persons and for such accounts as the investors shall have applied for. The agent shall on obtaining such "Securities" deliver the same to the investor or investors in exchange for the original receipt or receipts that may have been passed to them duly discharged by the investors.

7. subject as herein otherwise provided the agent shall be entitled to receive a commission at such rate or rates as may be notified by the Government from time to time in respect of "Securities" investment in which is allowed through the agent under the terms of this agreement. The commission shall be payable on the production of receipt(s) duly discharged by the investor or investors to the Paying Authority appointed in this behalf. Save as aforesaid the agent shall not be entitled to any other commission, remuneration or payment whatsoever for the work done under these present conditions notwithstanding any costs, charges or expenses the agent may incur for the purpose. No commission shall in any event be payable to the agent on investment of :-

Provident fund money, funds of Co-Operative Societies including Co-Operative Banks, compensation money paid to displaced persons in the form of any "Securities", cash securities already pledged to Government Official by Contractors and other persons, court funds, trust funds, funds in the control of Government Officials or local or statutory authorities, investments required to be made in these securities under any enactment or by an express order of the Government or investments made or secured by or on behalf of persons residing abroad or such other investments as from time to time may be notified by the Government in this behalf.

8. The agent hereby undertakes to carry out such directions and instructions as may from time to time be issued by the Government or persons duly authorized by the Government and comply with all rules and regulations, pertaining to the issue of "Securities" from time to time and orders and regulations issued by the Government together with any modification(s) or additions thereof and to keep himself/itself acquainted with the aforesaid rules, orders and regulations and in particular undertake :-

(a) to follow all instructions printed on the cover of official Receipt Books issued by the Government;

(b) never under any circumstances to exceed the amounts up to which a receipt form is valid for an investment or investment nor to make any alteration in the matter printed on the receipt forms and counterfoils;

(ग) विनिधानकर्ता से कोई धन स्वीकार करने से पूर्व यह अभिनिश्चित कर लेगा कि यदि वे प्रतिभूतियां जिनके लिए उसने आवेदन किया है उसे जारी की जाएं तो सब प्रकार की जितनी कुल प्रतिभूतियां उसके पास होंगी वे उस सीमा से अधिक नहीं होंगी जो ऐसी प्रतिभूतियों को शासित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियमों में निर्धारित हैं।

(घ) विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं द्वारा विनिधान के लिए सक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक जो प्रतिभूतियां विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं को विक्रीत की गई हों उनके बारे में संदत्त किए गए किसी कमीशन को या उसका देय किसी रकम से अधिक उसके द्वारा अन्यथा प्राप्त की गई रकम को सरकार को तुरन्त लौटाएगा।

(ङ:) प्राधिकार के प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) और उसे दी गई पावती पुस्तकों को सावधानी से रखेगा और उनके खो जाने की दशा में उसकी सूचना तुरन्त नियुक्त प्राधिकारी (पावती पुस्तकें) जारी करने वाले प्राधिकारी को और उस डाकघर (डाकघरों) या अन्य कार्यालय (कार्यालयों) को देगा जिससे (जिनसे) वह संलग्न है।

(च) किसी पावती पुस्तक के खो जाने की दशा में उसमें अभिलिखित प्रतिभूतियों के विक्रय पर किसी कमीशन का दावा नहीं करेगा।

(छ) जांच करने या कमीशन का संदाय करने के प्रयोजन के लिए संदायकर्ता प्राधिकारी को इसमें यथाउपबंधित रूप से पावती पुस्तक (पावती पुस्तकों) को पेश करेगा और प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए धन प्राप्त होने की तारीख से चार मास के भीतर कमीशन के लिए दावा करेगा। इसमें चूक होने पर ऐसा कमीशन समपहृत हो जाएगा।

(ज) उक्त उप-खण्ड (छ) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जांच प्राधिकारी की जांच के प्रयोजन के लिए पावती पुस्तक (पावती पुस्तकों) को किसी भी समय जब कभी उक्त प्राधिकारी द्वारा मांग की जाए; पेश करेगा।

(झ) विनिधानकर्ताओं को प्रतिभूतियां (जो विनिधानकर्ताओं की ओर से अभिकर्ता द्वारा कय की गई हों) बिना विलम्ब के और किसी भी दशा में धन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा। इसमें चूक होने पर अभिकर्ता का ऐसी प्रतिभूतियों के लिए किए गए कार्य पर अर्जित कमीशन समपहृत हो जाएगा और यदि उसका संदाय हो गया हो तो उसे तुरन्त सरकार को लौटाएगा।

(न) उक्त योजना को संबधित करने के लिए इस करार का निष्ठापूर्वक और तत्परतापूर्वक तथा अपनी सर्वोत्तम योग्यता से परिपालन करेगा और

(ट) इस करार या इसके भाग के फायदे को पर व्यक्ति को समनुदेशित या अन्यथा रूप से अन्तरित नहीं करेगा।

9. इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट पूर्वतर समाप्ति के उपबंधों के अधीन अभिकरण की अवधि प्रारम्भ में इस करार की उद्देशिका में दी गई तारीख से तीन वर्ष की होगी और इसके पश्चात यह अभिकरण सरकार के विकल्प पर अतिरिक्त अवधियों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा जो एक समय में तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

10. अभिकरण सरकार द्वारा सूचना के बिना समाप्त किया जा सकता है यदि अभिकर्ता के कार्य या उसके आचरण पर पर्यवेक्षक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिकूलतः टिप्पणी की गई है या यदि सरकार की राय में जो अन्तिम और बाध्यकर होगी वह इस करार के किसी उपबंध को भंग करने का दोषी है या यदि वह दिवालिया हो जाता है या अभिकरण संगठन का समापन हो जाता है या यदि यह पाया जाता है कि सम्पूर्ण कारोबार या उसका कोई भाग

© to ascertain from the investor before accepting any moneys that the "Securities" for which he applies will it issued, not render his total holding of such securities of all types in excess of the limit laid down in the rules governing such securities for the time being in force;

(d) to forthwith refund to the government any commission that may have been paid in respect of such securities as may have been sold to the investor or investors in excess of the limits of holding laid down in the said rules for investment by investor or investors, or otherwise received by him/it in excess of any amounts due to him/it;

(e) to keep the certificate(s) of Authority and Receipt Books issued to him/it with care and in case of loss immediately report the same to the Appointing/Issuing authority and the Post-Office(s) or other Office(s) to which he/it is attached;

(f) in case of loss of any receipt book not to claim any commission on sales of the securities recorded therein;

(g) to produce the receipt books(s) to the paying authority for the purpose of checking or payment of commission as herein provided and claim commission within four months from the date of receipt of money for investment in the "Securities" failing which such commission shall be forfeited.

(h) Notwithstanding the provisions of sub-clause(g) above, to produce the Receipt Book(s) to the checking authority for the purpose of checking whenever demanded by the said authority;

(i) to deliver the "Securities" (purchased by the agent on behalf of the investors) to the investors without undue delay and in any case within thirty days of the receipt of money failing which the agent shall forfeit the commission earned on the business transacted in such securities and if the same may have been paid will forthwith refund it to the Government;

(j) to carry out this agreement faithfully and diligently and to the best of his ability to promote the said scheme; and

(k) not to assign or otherwise transfer the benefit of this agreement or part thereof to a third party.

9. Subject to the provisions for earlier termination hereinafter contained the period of the agency shall be initially for three years from the date given in the preamble to this agreement and thereafter the agency may be renewed to the option of the Government for further periods not exceeding three years at a time.

10. The agency shall be liable to be terminated by the Government without notice if the work or conduct of the Agent is adversely commented upon by the supervising authorities or if he/it is, in the opinion of the Government which shall be final and binding, guilty of breach of any provisions of this agreement, or if he/it becomes

अभिकर्ता द्वारा डाक तथा तार विभाग या राष्ट्रीय बचत संगठन के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार के अल्प बचत विभाग के किसी कर्मचारी या कलेक्टर या तहसीलदार या भारतीय स्टेट बैंक या भारत में उसके समनुषंगी बैंकों के किसी कर्मचारी की सहायता या मोनानुकुलता से प्राप्त किया गया था। ऐसे कारभार पर अर्जित कमीशन समपहरण के दायित्वाधीन होगा और यदि ऐसे कारभार पर कमीशन पहले से ही संदत्त कर दिया गया हो तो अभिकर्ता को उसे तुरन्त सरकार को लौटा देना चाहिए।

11. यह करार दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे को तीन मास की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। परन्तु फिर भी सरकार सूचना दिए बिना और उसके लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी समय अभिकरण को समाप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगी। यदि भारत सरकार अधिसूचना द्वारा अभिकरण पध्दति को समाप्त करने की घोषणा करे तो अभिकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा।

12. इस करार का स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा संदेय होगा।

13. करार के किसी भी प्रकार से समाप्त हो जाने पर अभिकर्ता सब धनराशियां और कागज जिनके अन्तर्गत इस करार के निबन्धनों के अधीन उसके कब्जे या अभिरक्षक में आए हुए प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रयुक्त भागतः प्रयुक्त और अप्रयुक्त पावती पुस्तकें दस्तावेज और प्रतिभूतियां भी हैं तुरन्त सरकार को दे देगा।

14. अभिकर्ता एतद्वारा करार करता है कि वह उस समय धनराशियों और प्रत्याभूतियों के जो इस करार के चालू रहने के दौरान समय-समय पर उसके कब्जे या नियन्त्रण में या उसके निवेदन पर प्राधिकृत कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त शाखाओं या व्यक्तियों के कब्जे या नियन्त्रण में आएँ और जो या तो सरकार या विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं की हों, सभी प्रकार के गबन दुर्विनियोग या दुरुपयोजन से तथा सरकार के या किसी विनिधानकर्ता के किन्ही लेखनों, साक्ष्य, पुस्तकों या कागजों के सरकार के गबन दुर्विनियोग या दुरुपयोजन से तथा सरकार के या किसी विनिधानकर्ता के किन्ही लेखनों, साक्ष्य, पुस्तकों या कागजों के सरकार अथवा सरकार द्वारा सम्यकता प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के निदेशों और प्राधिकार के बिना, ले जाए जाने, उनकी हानि उनको नष्ट किए जाने से अथवा अन्यथा रूप से भी तथा उसके संबंध में सभी खर्चों, प्रभारों व व्ययों से सरकार की भली प्रकार और प्रयाप्त संरक्षा करेगा उसे हानि रहित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अभिकर्ता उन सब हानियों या दावों की बाबत भी जो उसके व्यतिक्रमों और अधिकर्ता संगठनों की किसी शाखा के अथवा अभिकर्ता संगठन के निवेदन पर प्राधिकृत कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के व्यतिक्रमों से पैदा हुए हों अथवा ऐसी रकमों की बाबत भी जो इसके द्वारा अथवा अभिकर्ता संगठन के निवेदन पर नियुक्त उसके प्राधिकृत कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई हों और जो उसे विधिपूर्ण तथा देय न हों सरकार की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा और यथापूर्वोक्त सब हानियों व नुकसानों के लिए किसी भी तरह सरकार की पूरी क्षतिपूर्ति की जाएगी।

insolvent, or the agent-organization runs into liquidation or if it is discovered that a part or the whole of the business was secured by the agent with the help or connivance of an official of the Posts and Telegraphs Department, or the National Savings Organization or an official of the State Government Small Savings Department or Collectors or Tehsildars or an official of the State Bank of India or its subsidiary banks in India. The commission earned on such business shall also be liable to forfeiture and if the commission on such business has already been paid, the agent must forthwith refund it to the Government.

11. This agreement may be terminated by either party by giving three months notice to the other. Provided, however, the Government shall be at liberty to terminate the agency at any time without notice and without assigning any reason for the same. The agency shall automatically stand terminated if the Government of India announces by Notifications, the abolition of agency system.

12. The stamp duty on this agreement shall be payable by the Government.

13. On termination of this agreement, howsoever occasioned, the Agent shall forthwith deliver to the Government all moneys and papers including the Certificate(s) of authority, used partially used and unused Receipt Books, document and securities which may have come to his possession or custody under the terms of this Agreement.

14. The agent hereby agrees to well and sufficiently protect and keep harmless and indemnify the Government against all manners of embezzlement, misappropriation or misapplication of moneys and the "Securities" which may from time to time during the continuance of this agreement come into his/its possession or control or into the possession or control of the branches or individuals appointed as authorized workers at his/its request and belonging either to the Government possession or control of the branches or individuals appointed as authorized workers at his/its request and belonging either to the Government or to the investor or investors and also against the carrying away, loss, destruction or otherwise of any writing, evidence books or papers belonging to the Government, or to any of the investors without directions and authority of the Government or person or persons duly authorized by the Government and against all losses, charges and expenses in relation thereto. The agent shall also indemnify fully the Government against all losses or claims that may arise on account of his/its defaults and the defaults of any of the agent organization's branches or of individuals appointed as authorized workers at the agent-organizations request and any amount received by him/it or the authorized workers of an agent organization appointed at its request and which are not legally due to

15. पूर्वोक्त रूप से निक्षिप्त दो हजार/एक हजार/एक सौ रुपये को प्रतिभूति की उक्त रकम या पांच हजार/ दो हजार/एक हजार/एक सौ रुपये मूल्य का विवस्तता प्रत्याभूति पालिसी अभिकर्ता द्वारा अनुपालन किए जाने वाले इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट सच और कतिपय अनेक प्रविष्टियों के उसके द्वारा सम्यक पालन और निष्ठापूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में सरकार द्वारा प्रतिशासित रखी जाएगी और उक्त नियुक्ति प्राधिकारी को सरकार की ओर से और उसके लिए इस बात की पूरी शक्ति होगी कि वह उस दशा में जिसने अभिकर्ता इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उक्त प्रसविदाओं शर्तों या करारों में से किसी का निष्पादन करने, पालन करने, बना रखने और अनुपालन करने में असफल हों उक्त प्रतिभूति या उसके किसी भाग को भुना ले और प्रतिभूति की रकम आगमों को या ऐसे आगमों के किसी भाग को उन सब या किन्हीं नुकसानों की रकम, क्षति व अन्य राशियों की पूर्ति करने में लगा ले जिससे कि उक्त अभिकर्ता इसके अधीन संदाय करने के दायित्वाधीन हो गया हो

16. नियुक्ति प्राधिकारी (पावती पुस्तकें) जारी करने वाला प्राधिकारी संदायकर्ता प्राधिकारी और जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी होंगे जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाए ।

17. अभिकर्ता ऐसी सब राशियों का जो सरकार को देय हो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करेगा । यदि अभिकर्ता ऐसी राशियों का जो सरकार को समय-समय पर देय हो संदाय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं करेगा तो और ऐसी

दशा में सरकार को देय सब राशियां (जिनके बारे में [ ] वा विनिश्चय अन्तिम होगा) सरकार के विकल्प पर उसी रीति से वसूल की जा सकेंगी जिससे भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों में इसके उपर प्रथम लिखित वर्ष मास और दिन को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

उपरिनिर्दिष्ट के अनुसरण में हस्ताक्षरीत प्रतिभूति और परिदत्त की विशेषताएं दीजिये

\* (1) श्री [ ]

(2) श्री [ ] की उपस्थिति में

श्री [ ] द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

\* (1) श्री [ ]

\*\* (2) श्री [ ] की उपस्थिति में

[ ] के लिए और उनकी ओर से ।

him/it and the authorized workers and the Government shall be fully indemnified against all such losses or damages as aforesaid at any time.

15. The said amount of security of Rupees two thousand / one thousand / one hundred or a Fidelity Guarantee Policy of the value of Rupees five thousand / two thousand/ one thousand/one hundred deposited as aforesaid shall be retained by Government as security for due fulfillment and faithful performance by the agent of all and singular the several covenants herein contained on his/its part to be observed, with full power to the said Appointing Authority for and on behalf of the Government in case the agent shall fail to perform, fulfill, keep and observe all or any of the said covenants, conditions or agreements on his/its part hereinbefore contained to encash the said security or any part thereof and appropriate the amount proceeds of the security or any part of such proceeds in or towards the satisfaction of the amount of all or any damages, penalties and other sums which the said agent may have become liable to pay hereunder.

16. The Appointing Authority, the Issuing Authority, the Paying Authority and the Checking Authority shall be such authorities as may be appointed from time to time by the State governments in the matter.

17. The agent shall pay all such sums as shall be due to the Government within the time hereinbefore specified. If the agent fails to pay such sums as shall be due to the Government from time to time within the specified period then and in such event all sums due to the Government(as

to which the decision of [ ] shall be final) shall at the option of the Government be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have set their respective hands hereinto the day, month and year first hereinabove written.

SCHEDULE referred to above, Give details of the

Securities signed and delivered by [ ]

In the presence of

\* (1) [ ]

(2) [ ]

Signed and delivered by

\*\* (1) [ ]

(2) [ ]

(1) श्री [ ]

For and on behalf of [ ]  
In the presence of [ ]

(2) श्री [ ]

द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

(1) [ ]

(2) [ ]

[ ] को मुद्रा  
\*\*\* सामान्य मुद्रा [ ]

\*\*\*The common seal of [ ] SEAL

दो हजार [ ] हस्ताक्षर  
ईसवी [ ]

was [ ]  
(Signature)

माह [ ] दिन [ ]  
(पदाभिदान)

hereunto affixed pursuant to a resolution [ ]  
of the Board of Directors of [ ] (Designation)

[ ] दिनांक [ ]

[ ] के निदेशक [ ] हस्ताक्षर

Passed on the [ ]

बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में लगाई गई ।

DAY of [ ]  
In the presence of [ ]

[ ] (नाम)  
[ ] (पदाभिदान)

(Signature)

की उपस्थिति में जिन्होंने उसके संकेत-स्वरूप इस पर  
अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं ।

[ ] (Name)

[ ] की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति

के लिए और उनकी ओर से श्री [ ] द्वारा  
हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

[ ] (Designation)

who in token hereof have hereunto [ ]  
signed their names. (Designation)

Signed and delivered by the [ ]

for and on behalf of the President of India in the Presence

of [ ]

- केवल व्यक्तियों को ही लागू ।
- \*\* अनुसूचित बैंकों से भिन्न अन्य पंजिकृत संस्थाओं को ही लागू ।
- \*\*\* केवल अनुसूचित बैंकों को ही लागू ।

- \*Applicable to individuals only.
- \*\*Applicable to registered institutions other than Scheduled Banks.
- \*\*\*Applicable to scheduled banks only.